

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख). अधिमान्य यातायात अनुसूची सामान्य प्रादेश के उपबंध सभी क्षेत्रीय रेलों पर समान रूप से लागू होते हैं। इन अनुदेशों के अनुपालन के लिए रेलों पर पहले ही प्रादेश विद्यमान हैं। इन अनुदेशों का अनुपालन न करने के संबंध में यदि कोई विशिष्ट शिकायत ध्यान में लायी जाय तो मुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए उस की जाच की जाएगी।

अनाराचन्डेल, भूरी पडेल और पुरुलिया स्टेशन पर रोकी गई यात्री गाड़ियां

1519. श्री दया राम शाक्य : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनाराचन्डेल, भूरी पडेल तथा पुरुलिया स्टेशनों पर जनवरी के दौरान यात्री गाड़ियों अचानक ही अम्भः 40 घण्टे और 8 घण्ट तक रोकी गई थी, यदि हाँ, तो इस के क्या कारण हैं; और

(ख) गाड़िया रोकने में किन व्यक्तियों का हाथ था उन के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और यदि उन के विरुद्ध कोई कार्यवाई नहीं की गई है, तो इस के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हाँ पुरुलिया रेल सेवा मुधार परिषद् ने 17-9-81 से 19-1-81 तक थोड़े थोड़े समय के अन्तराल पर रेल पथ पर प्रदर्शन करने शुरू कर इस के परिणामस्वरूप चांडिल-आद्रा खंड पर 5 जोड़ी सवारी गाड़ियां रह कर दी गयी थीं।

(ख) प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को अश्रु गैस का प्रयोग

तथा लाठी चार्ज करना पड़ा। 85 व्यक्ति हिरासत में भी लिए गए थे।

द्वितीय श्रेणी का वापसी टिकट

1520. श्री दया राम शाक्य : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1 फरवरी, 1981 से द्वितीय श्रेणी के वापसी टिकट पर दी जाने वाली रियायत को समाप्त करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी कारण क्या है और इस रियायत के कारण रेलवे को कुल कितनी हानि उठानी पड़ी है;

(ग) क्या विदेशी पर्यटकों को प्रत्येक श्रेणी में रियायत दी जा रही है; और

(घ) यदि हाँ, तो उस के परिणामस्वरूप रेलवे को कितनी हानि उठानी पड़ी है?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) सामान्य दूसरे दर्जे के वापसी टिकटों पर कोई रियायत नहीं दी जाती है। लेकिन, निर्धारित अवधियों के दौरान कुछ विशिष्ट पहाड़ी स्टेशनों के लिए वापसी यात्रा के लिए रियायती टिकट जारी किये जाते थे। यह रियायत पहली फरवरी, 1981 से वापस ले ली गयी है।

(ख) भारतीय रेलों पर सामाजिक दायित्व से संबंधित उच्चस्तरीय समिति और रेल दर-जांच समिति ने, जिन्हें अन्य वातों के साथ साथ-इस मामले की भी जांच की थी, यह विचार प्रकट किया कि पहाड़ी स्टेशनों के लिए रियायत की अनुमति देने के लिए कोई सामाजिक या वाणिज्यिक आवंतित्य नहीं है और इसे पूरी तरह समाप्त करने की सिफारिश की थी। समिति ने यह